फर्द अहकाम

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)

केस संख्या 89/2018 अपण को बनाम V/S जगदीश को

प्रार्थनापत्र

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	18/8/19	बवुलाल उर्फ प्रार्थी एडवोकेट ने एक प्रा० पत्र 08R1 cpc का पेश किया था रहा वास्ते जवाब दरख्वास्त दिनांक 27/11/19 को पेश हो तब तक पूर्व आदेश फुलाली रहेगा। उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)
	27/11/19	बवुलाल उर्फ ~~बहस~~ जवाब दरख्वास्त 08R1 cpc को अवलोकन किया। वास्ते जवाब दरख्वास्त 08R1 cpc दिनांक 8-2-20 को पेश हो तबतक पूर्व आदेश फुलाली रहेगा। उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)
	08-2-20	बार एसोसियेशन द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित रखा गया। गत आदेश की पालना में दिनांक 6-2-20 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)
	06-2-20	बवुलाल उर्फ अप्रार्थी सं०1 को बार बार आवाज लगवायी गयी इनकी तामील सेवा पर पूर्व में

फर्द अहकाम

उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)

अपण को बनाम V/S जगदीश कोरह

89/2018 प्रार्थनापत्र

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	करवायी गयी है। बावजूद बार बार सूचना अप्रार्थी सं० 1 जगदीश इसमें नहीं हुआ बार-बार आवाज लगवायी गयी इनकी तरफ से कोई उपस्थित नहीं आया अतः अप्रार्थी सं० 1 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। बहस प्रार्थनापत्र सुनी गयी प्रार्थी के प्रकरण के पूर्व में दिनांक 27/8/19 को अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश जारी किया गया है। अतः ना फैसला रहा बाद दोनों पक्षों को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे राजस्व 107/0.02, 108/0.06, 109/0.06, 110/0.05, 111/0.03, 112/0.09, 113/0.23 114/0.10, 115/0.20, 116/0.17, 407/0.17, 408/0.06, 410/0.07, 411/0.07, 412/0.12, 413/0.06, 414/0.03, 417/0.16 418/0.12, 419/0.09, 420/0.13 कुल किता 8 कुल रकबा 2.03 है० वाले ग्राम जोधपुरा-उपरला तह० विराटनगर में एक दूसरे के कब्जे काश्त में दखलंदाजी ना करें। गैर के व राजस्व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखें। फायनल फैसला शुमार होकर नम्बर से कम से कम दावा रहे। प्रार्थना Confirm किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)	